



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel.: 26533749 वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisecton@gmail.com

फा.सं.11025/04/2025/केविसं(मु.)/हिं 13669-13703

दिनांक: 08.10.2026
09

उपायुक्त/ निदेशक,
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय:- राष्ट्रपति जी के आदेशों का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उपनिदेशक, शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग (राजभाषा प्रभाग) के दिनांक 30-09-2026 के कार्यालय परिपत्र संख्या 11/13/2025- रा.भा.प्र. की प्रति (प्रतिलिपि संलग्न) आपको सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। कृपया संलग्न पत्र में उल्लिखित आदेशों / व्यवस्था की पालना अपने-अपने कार्यालयों / विद्यालयों में करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीया,
[Signature]
08/10/2026
(नीलम)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), समस्त अधिकारियों / अनुभागों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्राचार्य, विदेश स्थित सभी केंद्रीय विद्यालय।
3. उपनिदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, को उनके उपर्युक्त विषयक ई-मेल के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक आयुक्त (आईटी सेल) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सं.ई-11/13/2025-रा.भा.प्र.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

कर्तव्य भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 30.09.2026

परिपत्र

विषय: राष्ट्रपति जी के आदेशों का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 11 जुलाई, 2025 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन के नौवें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था।

संस्तुति संख्या	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
3.	प्रशिक्षण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएँ, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
5.	कार्यालय में कम्प्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कम्प्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
6.	हिंदी कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

11.	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12.	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलंब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13.	सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
14.	प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए समुचित कार्रवाई की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
16.	मॉनीटरिंग तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए समिति यह संस्तुति करती है कि एक प्रोफार्मा (राजभाषा से संबंधित) तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए और उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण उच्च प्राधिकारी द्वारा अवश्य हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
17.	मॉनीटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी चार बैठकें अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति का मॉनीटरिंग किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

18.	सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बड़े कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
22.	सभी केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिन्दी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिन्दी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
23.	एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिन्दी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
42.	विभिन्न निरीक्षणों, मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिन्दी पाठ्य समग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिन्दी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिन्दी में प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
48.	समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% धन हिंदी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड 8 की सिफारिश सं. 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड 9 की सिफारिश सं. 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियाँ इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती हैं कि मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

49.	जहां तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
50.	जहां विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करना आवश्यक हों, वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
51.	लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएँ, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
52.	जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो, तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों पर खर्च किया जाए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के संदर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय का न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
54.	सरकारी सेवा में हिंदी साहित्य में रचनात्मक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
56.	सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएँ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
60.	क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिन्दी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों आदि के प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने अपने संस्थानों आदि में उपर्युक्त आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करवाएँ तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना मंत्रालय को दिनांक 30.10.2026 तक rajbhasha.edusec@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

हो/-

(अजय कुमार झा)

उप-निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 011-24014904

सेवा में

संस्थानों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/समितियों/संगठनों/बोर्डों आदि के प्रमुख।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा एवं प्रशासन)
2. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति

30/09/2026
(अजय कुमार झा)